


## कार्यालय उपजिलाधिकारी कादीपुर, जनपद-सुल्तानपुर

पत्रांक-५८ एस०टी०-एस० डी० एम० / प्र०प० / २०२०

दिनांक: १६ मार्च, २०२०

### लैंडयूज प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम बढौली, परगना – अल्देमऊ तहसील – कादीपुर जिला सुल्तानपुर स्थित गाटा संख्या 208 रकबा 2.0213(एकड़) भू-अभिलेख में पं० सत्यनरायण द्विवेदी शिक्षा समिति के नाम अंकित है तथा उपजिलाधिकारी कादीपुर जनपद सुल्तानपुर द्वारा वाद संख्या 906/525 दिनांक 21.01.2012 धारा 80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता -2006 के अन्तर्गत अकृषक घोषित है। उक्त अ०न० पर कालेज का भवन निर्मित है इस भूखण्ड का प्रयोग शिक्षण कार्य हेतु किया जायेगा। अतः उक्त अ०न० का भू-प्रयोग कृषि कार्य से भिन्न शैक्षिक कार्य के प्रयोजनार्थ है।

  
उपजिलाधिकारी  
कादीपुर – सुल्तानपुर।